भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 202**

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

**हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना**

**†*202. श्री टी. आर. बालू:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए फैशन डिजाइनिंग में कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित हथकरघा कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है

**श्री टी. आर. बालू द्वारा 'हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास तथा उद्यमिता प्रशिक्षण से संबंधित अनेक पहलें सक्रिय रूप से संचालित कर रही है। इन पहलों के अंतर्गत फैशन डिज़ाइनिंग सहित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारत का हथकरघा क्षेत्र देश की सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है तथा यह ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का एक अभिन्न आधार है। इस क्षेत्र से 35 लाख से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इनमें 25 लाख से अधिक महिला बुनकर एवं संबद्ध कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जिससे यह क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है।

- भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) जैसी प्रमुख स्कीमों के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के जरिए हथकरघा बुनकरों सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 30 जून 2026 तक) के दौरान एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित हथकरघा श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
- समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण स्कीम) वस्त्र मंत्रालय का एक मांग-आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आजीविका का सतत सृजन करना और हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहित संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, कौशलोन्नयन एवं पुन कौशलीकरण प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 29 जुलाई 2026 तक) के दौरान समर्थ स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित हथकरघा श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख (फ्लैगशिप) केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, जो हथकरघा बुनकरों को समग्र और आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए प्रदान की जाती है। इनमें उन्नत करघों एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता, कार्यशालाओं का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था इकाइयों की स्थापना, उत्पाद एवं डिज़ाइन विकास तथा बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र की

सावधि ऋण (टर्म लोन) तथा कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति लचीले एवं किफायती ढंग से करना है (**अनुबंध III और IV**)। सरकार हथकरघा बुनकरों को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित, सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों में संगठित करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में हथकरघा उत्पादक कंपनियों (एचपीसी) के गठन और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान एनएचडीपी के तहत 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है। सरकारी विभागों में हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए लगभग 1.50 लाख बुनकरों/हथकरघा संस्थाओं को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से जोड़ा गया है। सरकार ने प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों, जिनमें जीआई-टैग वाले उत्पाद भी शामिल हैं, के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में 'इंडिया हैंडमेड' को भी विकसित किया है, जिससे सत्यापित बुनकर और उत्पादक समूह सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेच सकें। कुल मिलाकर, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक) के दौरान 'इंडिया हैंडमेड' प्लेटफॉर्म पर 5413 बुनकरों को जोड़ा गया है।

- शिल्प समूह पहल: राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), डीसी-हैंडलूम्स और डीसी-हस्तशिल्प कार्यालयों के सहयोग से, पूरे भारत में छात्रों और कारीगरों के बीच व्यापक क्षेत्र कार्य और सहयोग पर जोर देता है। अनुसंधान और डिजाइन परियोजनाओं के माध्यम से, छात्र पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देने और उन्हें समकालीन डिजाइन तत्वों के साथ एकीकृत करने का प्रयास करते हैं।
- छह भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) (वाराणसी, सलेम, बरगढ़, फुलिया, गुवाहाटी, जोधपुर) तीन वर्षीय डिप्लोमा और चार वर्षीय बी.टेक कार्यक्रमों के माध्यम से हथकरघा और वस्त्र शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।
- पीएमकेवीवाई के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत, धनराशि सीधे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिमाह अधिकतम ₹1,500 तक की वजीफा सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि संबंधित प्रतिष्ठानों को जारी नहीं की जाती। आईटीआई के माध्यम से कार्यान्वित सीटीएस स्कीम के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30 जून 2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई, एनएपीएस और जेएसएस के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई कुल धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

| स्कीम | जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 (30.06.2026 तक) |
| पीएमकेवाई | 510.52 | 1538.00 | 265.57 | 78.28 |
| जेएसएस | 154.3 | 139.5 | 148.2 | 36.32 |
| नैप्स (एनएपीएस) | 594.30 | 585.96 | 577.03 | 178.87 |

एनएचडीपी और समर्थ स्कीमों के तहत राज्य/जिलावार धनराशि का आवंटन नहीं है। एनएचडीपी के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन 300 रुपये की वेतन हानि क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 से जून 2026 तक समर्थ स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई कुल धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

| स्कीम | जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 (30.06.2026 तक) |
| समर्थ | 114.99 | 260.26 | 255.42 | 78.07 |

**अनुबंध-I**

**'हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30 जून 2026 तक) के दौरान एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित/नामांकित हथकरघा कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा:

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पीएमकेवीवाई | | जेएसएस | | एनएपीएस | | सीटीएस (आईटीआई) (2023 से 2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | महिला | कुल | महिला | कुल | महिला | कुल | महिला |
| आंध्र प्रदेश | - | - | 1,120 | 1038 | 1,138 | 714 | - | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 315 | 311 | - | - | 1 | - | - | - |
| असम | 6,804 | 6,653 | 220 | 210 | 375 | 252 | - | - |
| बिहार | 20 | 20 | 2,260 | 2234 | 48 | 6 | - | - |
| चंडीगढ़ | - | - | 23 | 23 | - | - | | |
| छतीसगढ | - | - | - | - | 114 | 81 | - | - |
| दिल्ली | - | - | 760 | 574 | 118 | 33 | - | - |
| गोवा | - | - | 40 | 34 | 51 | 49 | - | - |
| गुजरात | - | - | 440 | 440 | 23,503 | 9,105 | - | - |
| हरियाणा | 60 | 20 | 280 | 113 | 3,883 | 1,636 | - | - |
| हिमाचल प्रदेश | 135 | 36 | 484 | 472 | 6,421 | 2,462 | - | - |
| जम्मू और कश्मीर | - | - | - | - | 84 | 46 | - | - |
| झारखंड | - | - | 20 | 11 | 4 | 2 | - | - |
| कर्नाटक | - | - | 2,980 | 2925 | 8,474 | 3,851 | - | - |
| केरल | - | - | 2,960 | 2825 | 510 | 81 | - | - |
| लक्षद्वीप | - | - | 186 | 179 | - | - | - | - |
| मध्य प्रदेश | - | - | 1,660 | 1588 | 15,624 | 8,144 | - | - |
| महाराष्ट्र | 166 | 53 | 880 | 750 | 10,295 | 4,299 | 180 | 69 |
| मणिपुर | 671 | 658 | 160 | 159 | 133 | 84 | - | - |
| मेघालय | 57 | 57 | - | - | 66 | 66 | 18 | 18 |
| मिजोरम | 321 | 281 | 40 | 39 | 6 | 6 | - | - |
| ओडिशा | 40 | 40 | 2,100 | 1685 | 54 | 49 | 60 | 40 |
| पुदुचेरी | - | - | - | - | 36 | 4 | - | - |
| पंजाब | 270 | 184 | - | - | 7,930 | 4,348 | 99 | 9 |
| राजस्थान | 709 | 396 | 780 | 619 | 6,080 | 1,305 | - | - |
| तमिलनाडु | 38 | 21 | 300 | 261 | 5,667 | 2,930 | 171 | 36 |
| तेलंगाना | - | - | 280 | 280 | 772 | 339 | - | - |
| दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव | - | - | - | - | 2,464 | 938 | - | - |
| उत्तर प्रदेश | 614 | 173 | 2,573 | 2501 | 3,897 | 1,990 | 67 | 13 |
| उत्तराखंड | - | - | 700 | 686 | 1,138 | 664 | - | - |
| पश्चिम बंगाल | 362 | 279 | 100 | 84 | 2,022 | 1,178 | - | - |
| नागालैंड | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| त्रिपुरा | - | - | 120 | 119 | - | - | - | - |
| कुल | 10,633 | 9,228 | 21,466 | 19,849 | 1,00,908 | 44,662 | 595 | 185 |

**अनुबंध-II**

**'हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (29 जुलाई 2026 तक) के दौरान समर्थ स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त हथकरघा बुनकरों का राज्य-वार ब्यौरा:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रशिक्षित हथकरघा बुनकर | |
|---|---|---|---|
| | | कुल | महिला |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 766 | 472 |
| 2 | असम | 10487 | 10307 |
| 3 | बिहार | 670 | 394 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1274 | 926 |
| 5 | गुजरात | 849 | 581 |
| 6 | हरियाणा | 314 | 297 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 435 | 426 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 692 | 537 |
| 9 | झारखंड | 735 | 643 |
| 10 | कर्नाटक | 839 | 741 |
| 11 | केरल | 832 | 816 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 920 | 559 |
| 13 | महाराष्ट्र | 1737 | 1528 |
| 14 | मणिपुर | 620 | 611 |
| 15 | मिजोरम | 802 | 778 |
| 16 | नागालैंड | 654 | 600 |
| 17 | ओडिशा | 1099 | 880 |
| 18 | पंजाब | 98 | 88 |
| 19 | राजस्थान | 594 | 407 |
| 20 | तमिलनाडु | 2236 | 1707 |
| 21 | तेलंगाना | 1042 | 772 |
| 22 | त्रिपुरा | 478 | 468 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 1757 | 1212 |
| 24 | उत्तराखंड | 369 | 341 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 763 | 535 |
| कुल | | 31062 | 26626 |

**अनुबंध-III**

**'हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचडीपी के अंतर्गत उन्नत किए गए करघों और सहायक उपकरण, कार्यशाला के निर्माण और उपलब्ध कराए गए प्रकाश इकाईयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उन्नत किए गए करघों और सहायक उपकरण की संख्या | व्यक्तिगत कार्यशालाओं की संख्या | प्रकाश इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4184 | 709 | 625 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 523 | 155 | 526 |
| 3 | असम | 1096 | 694 | - |
| 4 | बिहार | 89 | 87 | 42 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2429 | 59 | - |
| 6 | गुजरात | 226 | - | 15 |
| 7 | हरियाणा | 56 | 7 | - |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 364 | 251 | 76 |
| 9 | झारखंड | 224 | 88 | 262 |
| 10 | कर्नाटक | 3044 | 18 | 95 |
| 11 | केरल | 3756 | 464 | 697 |
| 12 | मध्य प्रदेश | - | 60 | - |
| 13 | महाराष्ट्र | 236 | 51 | 219 |
| 14 | मणिपुर | 25002 | 368 | 450 |
| 15 | मेघालय | - | 60 | - |
| 16 | मिजोरम | 30 | 170 | - |
| 17 | नागालैंड | 200 | 17 | - |
| 18 | ओडिशा | 60 | - | 160 |
| 19 | राजस्थान | 142 | 54 | 76 |
| 20 | तमिलनाडु | 5466 | 581 | 348 |
| 21 | तेलंगाना | 1391 | 73 | 16 |
| 22 | त्रिपुरा | 210 | 27 | - |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 127 | 76 | 142 |
| 24 | उत्तराखंड | 36 | 39 | - |
| 25 | पश्चिम बंगाल | - | 108 | - |
| कुल | | 48891 | 4216 | 3749 |

**अनुबंध-IV**

**'हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 202 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण की संख्या और राशि का राज्य-वार ब्यौरा।

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत ऋण की संख्या | स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5987 | 5881.37 |
| 2 | बिहार | 44 | 45.40 |
| 3 | गोवा | 01 | 1.90 |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 1336 | 1847.21 |
| 5 | कर्नाटक | 382 | 197.96 |
| 6 | केरल | 883 | 573.57 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 150 | 181.90 |
| 8 | महाराष्ट्र | 03 | 8.04 |
| 9 | ओडिशा | 34 | 29.00 |
| 10 | पुडुचेरी | 01 | 1.00 |
| 11 | तमिलनाडु | 13790 | 8049.58 |
| 12 | तेलंगाना | 680 | 784.66 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | 164 | 208.35 |
| 14 | पश्चिम बंगाल | 12 | 4.75 |
| 15 | असम | 861 | 413.70 |
| 16 | मणिपुर | 104 | 52.00 |
| कुल | | 24432 | 18280.39 |

*****